"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 170] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 जून 2010—ज्येष्ठ 25, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जून 2010

अधिसूचना

क्रमांक 5919/1512/21-ब/छ. ग./2010.—छत्तीसगढ़ निम्नतर एवं उच्चतर न्यायिक सेवा (वेतन पुनरीक्षण) नियम, 2010 एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ निम्नतर एवं उच्चतर न्यायिक सेवा (वेतन पुनरीक्षण) नियम, 2010

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1022/1989, आल इंडिया जजेस एसोसिएशन एवं अन्य विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य [2002 ए.आई.आर.एस.सी.डब्ल्यू 1706=(2002)[4] एस.सी.सी. 247] में अंतरिम आवेदन क्र. 244 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28-04-2009 के द्वारा गठित एक सदस्यीय न्यायमूर्ति ई. पद्मनाभन (सेवानिवृत्त) आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, उच्चतर एवं निम्नतर न्यायिक सेवा के सदस्यों के वेतन पुनरीक्षण के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं लागू होना.—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ निम्नतर एवं उच्चतर न्यायिक सेवा (वेतन पुनरीक्षण) नियम, 2010 है.

(2) ये नियम 1 जनवरी, 2006 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे.

(3) ये नियम छत्तीसगढ़ के निम्नतर एवं उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को लागू होंगे.

2. **परिभाषायें.**—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची,

(ख) "मूल वेतन" से अभिप्रेत है मूल नियमों के नियम 9 (21) (क) (एक) में यथा परिभाषित वेतन,

(ग) "विद्यमान वेतनमान" से अभिप्रेत है—

(1) अनुसूची एक के कालम (2) में वर्णित पद के सामने उसी अनुसूची के कालम (3) में उल्लेखित वेतनमान, तथा

(2) अनुसूची दो के कालम (2) में वर्णित पद के सामने उसी अनुसूची के कालम (3) में उल्लेखित वेतनमान से.

(घ) "पूर्व नियत परिलब्धियों" के अन्तर्गत है—

(1) 01-01-2006 को विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन.

स्पष्टीकरण :— जहां विद्यमान वेतनमान में वेतन वृद्धि दिनांक 1 जनवरी 2006 को देय हो वहां उसे मूल वेतन का भाग माना जायेगा.

(ङ) "पुनरीक्षित वेतनमान से अभिप्रेत है"—

(1) अनुसूची एक में कालम 4 में उस अनुसूची के कालम 3 के सामने वर्णित वेतनमान.

(2) अनुसूची दो में कालम 4 में उस अनुसूची के कालम 3 के सामने वर्णित वेतनमान.

3. **पुनरीक्षित वेतनमान.**— इन नियमों के प्रारंभ होने के दिनांक से, पुनरीक्षित वेतनमान से अभिप्रेत है, यथास्थिति अनुसूची एक अथवा दो के कालम क्रमांक 3 में दर्शित विद्यमान वेतनमान के समक्ष, कालम क्र. 4 में दर्शित, उक्त पद का पुनरीक्षित वेतनमान.

4. **पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरण.**— इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय निम्नतर/उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य उस पद को, जिसमें वह नियुक्त किया गया है, लागू पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरित करेगा.

परंतु कोई निम्नतर/उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य विद्यमान वेतनमान में अपना वेतन उस तारीख तक आहरित करते रहने का चयन कर सकेगा जब तक कि वह अपनी आगामी वेतनवृद्धि या विद्यमान वेतनमान में पश्चात्वर्ती वेतनवृद्धि अर्जित नहीं कर लेता है या जब तक कि वह उस पद को रिक्त नहीं कर देता या उस वेतनमान में अपना वेतन आहरित करना बंद नहीं कर देता.

स्पष्टीकरण :—(1) इस नियम के परंतुक के अधीन विद्यमान वेतनमान प्रतिधारित करने का विकल्प केवल एक ही विद्यमान वेतनमान के संबंध में अनुदेय होगा.

स्पष्टीकरण :—(2) उपर्युक्त विकल्प, किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में अनुज्ञेय नहीं होगा जो 1 जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात्

चाहे शासकीय सेवा में प्रथम बार या किसी अन्य पद से स्थानांतरण या पदोन्नति द्वारा, नियुक्त किया गया था और उसे केवल वही वेतन अनुज्ञात होगा जो पुनरीक्षित वेतनमान में अनुज्ञेय है.

5. **विकल्प का प्रयोग.—**

(1) किसी निम्नतर/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य द्वारा नियम 4 के परंतुक के अधीन विकल्प का प्रयोग, इन नियमों से संलग्न प्रारूप में लिखित में, इन नियमों के प्रकाशन के तारीख से 3 मास के भीतर या जहां विद्यमान वेतनमान उस तारीख के पश्चात् किये गये किसी आदेश द्वारा पुनरीक्षित किया गया हो, वहां ऐसे आदेश के 3 मास के भीतर किया जायेगा.

परंतुक—

(क) किसी ऐसे निम्नतर/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य के मामले में, जो यथास्थिति इन नियमों की तारीख को या ऐसे आदेश की तारीख को छुट्टी पर हो या राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति पर हो या भारत के बाहर किसी विदेशी सेवा में हो, उक्त विकल्प का प्रयोग इस नियम के अधीन विहित समय सीमा के भीतर या राज्य सरकार के अधीन उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 मास के भीतर किया जा सकेगा.

(ख) जहां कोई निम्नतर/उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य 1 जनवरी, 2006 को निलंबन के अधीन हो, वहां विकल्प का प्रयोग उसके कर्तव्य पर वापसी के 3 मास के भीतर किया जा सकेगा, यदि वह तारीख उस तारीख की बाद हो जो इस उपनियम में विहित की गई.

(ग) इसके अतिरिक्त जहां कोई निम्नतर/उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य 01-01-2006 को कर्तव्य पर था और निलंबित कर दिया गया हो और इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को भी निलंबित हो वहां विकल्प का प्रयोग खण्ड (ख) में यथा उपबंधित रीति से किया जा सकेगा.

(घ) निम्नतर/उच्चतर न्यायिक सेवा के वे सदस्य जो 01-01-2006 के पश्चात् और इन नियमों के प्रकाशन के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हों, भी इस नियम के अधीन विकल्प का प्रयोग कर सकेंगे.

(2) विकल्प, निम्नतर/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य द्वारा

(क) यदि वह निम्नतर न्यायिक सेवा का सदस्य है, तो उसके कार्यालय प्रमुख को संसूचित किया जायेगा.

(ख) यदि वह उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य है तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को संसूचित किया जायेगा.

(3) अगर निम्नतर/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य का विकल्प उपनियम (1) के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर प्राप्त नहीं हो तो यह मान लिया जायेगा कि उसने नया संशोधन वेतनमान का चयन 01-01-2006 से कर लिया है.

(4) विकल्प प्राप्त होने पर, यथास्थिति, कार्यालय प्रमुख द्वारा या छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा प्रमाणित किया जायेगा तथा विकल्प को संबंधित न्यायिक अधिकारी की सेवा पुस्तिका में चिपकाकर लगाया जायेगा.

(5) एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा, विकल्प में कांट छांट या उपरिलेखन स्वीकार नहीं होगा.

टिप्पणी - (1) वे व्यक्ति, जिनकी सेवायें 01-01-2006 को या उसके पश्चात् समाप्त कर दी गई है और जो विहित की गई समय-सीमा के भीतर विकल्प का प्रयोग, मृत्यु हो जाने, स्वीकृत पदों की समाप्ति पर सेवामुक्त कर दिये जाने, पदत्याग, पदच्युती, अनुशासनिक आधार पर सेवान्मुक्ति, होने के कारण नहीं कर सके थे, इस नियम का लाभ उठाने के हकदार है.

टिप्पणी - (2) निम्नतर/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य, जिसकी मृत्यु 1 जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात् किन्तु इन नियमों के प्रकाशन की तारीख के पूर्व हो गई हो या जिसकी इन नियमों के प्रकाशन के पश्चात् किन्तु विकल्पों का प्रयोग करने के लिए विहित कालावधि के पूर्व विकल्प का प्रयोग किये बिना ही मृत्यु हो जाती है के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने वेतनमान के लिए विकल्प किया है. जिसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा जो उसके लिए लाभप्रद समझा जाये तदानुसार उसका वेतन निर्धारित किया जायेगा.

6. **पुनरीक्षित वेतनमान में प्रारंभिक वेतनमान का नियत किया जाना.—**

1. उस निम्नतर/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य को, जो, नियम 5 के अधीन पुनरीक्षित वेतनमान का चयन करता है या जिसके बारे में यह समझा जाता है कि उसने पुनरीक्षित वेतनमान का चयन कर लिया है, प्रारंभिक वेतन का नियतन उस पद पर जिस पर वह धारणाधिकार रखता है यदि उसे निलंबित नहीं कर दिया जाता उसके मूल वेतन के संबंध में पृथक से किया जायेगा और उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद पर उसके वेतन के संबंध में, नियम के साथ संलग्न अनुसूची-3 के मास्टर पे-स्टेज में दिए गए, विद्यमान वेतन-प्रक्रम (Pay-Stage) के समक्ष दर्शितं, पुनरीक्षित वेतन-प्रक्रम (Pay-Stage) पर निर्धारित किया जायेगा.

2. पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन नियत करने हेतु निम्न नियमों को भी ध्यान में रखा जाये :—

(क) कोई अधिकारी पुनरीक्षित वेतनमान के पूर्व के वेतनमान (विद्यमान वेतनमान) में अपने से ज्येष्ठ अधिकारी/अधिकारियों के समान या कम वेतन आहरित करता था जो समान काडर और समान ढंग से नियुक्त है, उसकी आगामी वेतनवृद्धि पुनरीक्षित वेतनमान में अपने से ज्येष्ठ अधिकारी/अधिकारियों की तारीख से पहले आती है और वह उन ज्येष्ठ अधिकारी/अधिकारियों से ऊंचे प्रक्रम पर वेतन पाता है तो ज्येष्ठ अधिकारी/अधिकारियों की आगामी वेतनवृद्धि उसी तारीख को मंजूर की जायेगी जो उसके कनिष्ठ के लिये अनुज्ञेय है.

(ख) यदि कोई अधिकारी 01-01-2006 के पूर्व उस पद पर पदोन्नत होता है परन्तु पुनरीक्षित वेतनमान वह अपने से कनिष्ठ से कम वेतन पाता है तो उसका वेतन उसी सीमा तक पदोन्नति की तिथि से बढ़ाया जायेगा जितना कि वह कनिष्ठ से कम हो.

7. **पुनरीक्षित वेतनमान में आगामी वेतनवृद्धि की तारीख.—**

(क) निम्नतर/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य को, जिसका वेतन नियम 6 के उपबंधों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में नियत किया गया है आगामी वेतनवृद्धि उसी तारीख को होगी, जिस तारीख को वह विद्यमान वेतनमान में बने रहने पर वेतनवृद्धि प्राप्त करता.

(ख) यदि कोई अधिकारी ऊपर उल्लेखित खंड (क) के तहत आगामी वेतनवृद्धि नियत होने पर अपने से वरिष्ठ अधिकारी के वेतन से उच्च वेतन का पात्र होता है, जिसकी आगामी वेतनवृद्धि की तारीख पश्चात् में है, तो वरिष्ठ का वेतन पुनर्निर्धारित किया जायेगा और वह कनिष्ठ को देय तिथि से उक्त वेतन का पात्र होगा.

(ग) परन्तुक यह भी कि उस मामले में जहां किसी न्यायिक अधिकारी का वेतन खंड (ख) के अधीन नियत किया जाता है वहां आगामी वेतनवृद्धि पूरे एक वर्ष की कालावधि के पश्चात् अनुज्ञेय होगी.

8. **पुनरीक्षित वेतनमान में 1 जनवरी 2006 के पश्चात् वेतन का नियतन.—**

1. (i) जहां कोई निम्नतर न्यायिक सेवा का सदस्य विद्यमान वेतनमान में अपना वेतन आहरित करता रहा है और 1 जनवरी 2006 के बाद की किसी तारीख से पुनरीक्षित वेतनमान में लाया जाता है वहां पुनरीक्षित वेतनमान में बाद की तारीख से उसका वेतन विद्यमान वेतनमान में उसके मूल वेतन के प्रति निर्देश से मूल नियम के अधीन नियत किया जायेगा.

(ii) जहां कोई उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य विद्यमान वेतनमान में अपना वेतन आहरित करता रहा है और 1 जनवरी 2006 के बाद की किसी तारीख से पुनरीक्षित वेतनमान में लाया जाता है वहां पुनरीक्षित वेतनमान में बाद की तारीख से उसका वेतन विद्यमान वेतनमान में उसके मूल वेतन के प्रति निर्देश से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के अधीन नियत किया जायेगा.

2. ऐसा कोई उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य जिसने 1 जनवरी 2006 के पूर्व किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य किया है, किन्तु वह 1 जनवरी 2006 को उस पद को धारण नहीं करता था, और जो उस पद पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति होने पर पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरित करता है उसे मूल नियम 22 के परन्तुक का लाभ उसी सीमा तक अनुज्ञात किया जायेगा जहां तक वह उसे उस दशा में अनुज्ञेय होता जबकि वह 1 जनवरी 2006 को उस पद को धारण किये होता और उस तारीख को पुनरीक्षित वेतनमान का चयन करता.

9. **वेतन के बकाया का भुगतान.**— इन नियमों के अधीन वेतन नियतन के परिणामस्वरूप पुनरीक्षित वेतन का दिनांक 1 जून, 2010 (अर्थात् जुलाई 2010 में देय माह जून 2010 का वेतन) से नगद भुगतान किया जायेगा दिनांक 1 जनवरी, 2006 से 31 मई, 2010 तक की अवधि के बकाया वेतन का 40 प्रतिशत संबंधित न्यायिक अधिकारी के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी पेंशन योजना खाते में तत्काल जमा किया जायेगा तथा शेष 60 प्रतिशत बकाया वेतन का आधा अर्थात् बकाया राशि के 30 प्रतिशत राशि का भुगतान, वित्तीय वर्ष 2010-11 में तथा शेष बकाया 30 प्रतिशत राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2011-12 में किया जायेगा.

स्पष्टीकरण :— इस नियम के प्रयोजन हेतु—

(क) "बकाया वेतन" का तात्पर्य निम्न के अन्तर से है—

i इन नियमों के अन्तर्गत वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन एवं भत्ते, एवं अन्य परिलब्धियां जिसका संबंधित अवधि हेतु उन्हें पात्रता है, तथा

ii संबंधित अवधि में वेतन एवं भत्ते एवं अन्य परिलब्धियां जिसकी उसे पात्रता अनुसार भुगतान किया गया है (चाहे ऐसे वेतन एवं भत्तों का भुगतान प्राप्त किया गया हो अथवा नहीं) यदि उसके वेतन का इस प्रकार पुनरीक्षण नहीं किया गया होता.

10. **नियमों का अध्यारोही प्रभाव.**—उन मामलों में जहां वेतन इन नियमों द्वारा विनियमित होता है वहां मूल नियम तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम 1954 के उपबंध जैसी भी स्थिति हो, उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि वे इन नियमों से असंगत हो.

11. **सुनिश्चित सेवा प्रगति योजना.**— पुनरीक्षित वेतनमान में सुनिश्चित सेवा प्रगति योजना वेतनमान वर्णित है वे संबंधित अधिकारी को स्वमेव प्राप्त नहीं हो जायेगी बल्कि उनके कार्य और क्षमता के आंकलन के पश्चात् दिये जायेंगे जो कि माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों की समिति जिसे माननीय मुख्य न्यायाधिपति द्वारा गठित किया जायेगा, की अनुसंशा पर प्राप्त होंगे.

12. **शिथिल करने की शक्ति.**— राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से न्यायिक अधिकारियों या न्यायिक अधिकारियों के प्रवर्ग के मामलों में इन नियमों के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का प्रवर्तन ऐसी रीति में और ऐसी सीमा तक शिथिल या निलंबित कर सकेगी जैसा कि उसे लोकहित में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण या आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु ऐसा शिथिलीकरण या निलंबन, जो यथास्थिति किसी न्यायिक अधिकारी या न्यायिक अधिकारियों के किसी प्रवर्ग के लिए अलाभप्रद हो, प्रवर्तित नहीं किया जायेगा.

13. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो वह राज्य सरकार के वित्त विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

विकल्प का प्रारूप

(नियम 5 देखिये)

मैं . . . . एतद्द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरण का चयन करता/करती हूं.

या

मैं . . . . एतद्द्वारा अपने मूल/स्थानापन्न पद . . . . के विद्यमान वेतनमान रुपये . . . . को

(क) मेरी आगामी वेतनवृद्धि की तारीख तक

या (ख) मेरा वेतन रुपये . . . . तक बढ़ने वाली उत्तरवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक

या (ग) मेरे द्वारा पद रिक्त किये जाने तक या विद्यमान वेतनमान (रुपये . . . .) में वेतन आहरित करना छोड़ने तक जारी रखने का चयन करता/करती हूं.

स्थान - . . . .

तारीख - . . . .

हस्ताक्षर . . . .
नाम . . . .
पदनाम . . . .
कार्यालय जिसमें नियोजित है . . . .

जो लागू न हो काट दीजिए

(केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री . . . . (नाम) द्वारा प्रस्तुत विकल्प कार्यालय में दिनांक . . . . को प्राप्त हुआ.

हस्ताक्षर . . . .
पदनाम . . . .

अनुसूची-एक

क्र. (1)	पदनाम (2)	विद्यमान वेतनमान (3)	पुनरीक्षित वेतनमान (4)	टीप (5)
1.	कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश (सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 प्रवेश स्तर)	9000-250-10750-300-13150-350-14550	27700-770-33090-920-40450-1080-44770	--
2.	कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश (प्रथम स्टेज ए.सी.पी. स्केल)	10750-300-13150-350-14900	33090-920-40450-1080-45850	कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर.
3.	कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश (द्वितीय स्टेज ए.सी.पी. स्केल)	12850-300-13150-350-15950-400-17550	39530-920-40450-1080-49090-1230-54010	कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश प्रथम स्टेज ए.सी.पी. स्केल में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात्.
4.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (सिविल न्यायाधीश वर्ग-1)	12850-300-13150-350-15950-400-17550	39530-920-40450-1080-49090-1230-54010	--
5.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (प्रथम स्टेज ए.सी.पी. स्केल)	14200-350-15950-400-18350	43690-1080-49090-1230-56470	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सिविल न्यायांधीश वर्ग-1 में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर.
6.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (चयन श्रेणी) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.	14200-350-15950-400-18350	43690-1080-49090-1230-56470	
7.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (द्वितीय स्टेज ए.सी.पी. स्केल)	16750-400-19150-450-20500	51550-1230-58930-1380-63070	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (चयन श्रेणी) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर.

अनुसूची-दो

क्र. (1)	पदनाम (2)	विद्यमान वेतनमान (3)	पुनरीक्षित वेतनमान (4)	टीप (5)
1.	जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)	16750-400-19150-450-20500	51550-1230-58930-1380-63070	--
2.	जिला न्यायाधीश (चयन स्तर)	18750-400-19150-450-21850-500-22850	57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290	योग्यता सह ज्येष्ठता के आधार पर ही नियुक्ति परंतु सेवा का सदस्यं तब तक इस पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा जब तक कि जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण न कर लिया हो.
3.	जिला न्यायाधीश (सुपर समय वेतनमान)	22850-500-24850	70290-1540-76450	योग्यता सह ज्येष्ठता के आधार पर ही नियुक्ति परंतु सेवा का सदस्य तब तक इस पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा जब तक कि जिला न्यायाधीश (चयन श्रेणी) के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण न कर लिया हो.

अनुसूची- तीन

वेतन प्रक्रम (Pay-Stages)

क्र.	विद्यमान वेतनमान		पुनरीक्षित वेतनमान	
	वेतन	वेतन-वृद्धि	वेतन	वार्षिक वेतन-वृद्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	9000	250	27700	770
2.	9250	250	28470	770
3.	9500	250	29240	770
4.	9750	250	30010	770
5.	10000	250	30780	770
6.	10250	250	31550	770
7.	10500	250	32320	770
8.	10750	300	33090	920
9.	11050	300	34010	920
10.	11350	300	34930	920
11.	11650	300	35850	920
12.	11950	300	36770	920
13.	12250	300	37690	920
14.	12550	300	38610	920
15.	12850	300	39530	920
16.	13150	350	40450	1080
17.	13500	350	41530	1080
18.	13850	350	42610	1080
19	14200	350	43690	1080
20.	14550	350	44770	1080
21.	14900	350	45850	1080
22.	15250	350	46930	1080
23.	15600	350	48010	1080
24.	15950	400	49090	1230
25.	16350	400	50320	1230
26.	16750	400	51550	1230
27.	17150	400	52780	1230
28.	17550	400	54010	1230
29	17950	400	55240	1230
30.	18350	400	56470	1230
31.	18750	400	57700	1230
32.	19150	450	58930	1380
33.	19600	450	60310	1380
34.	20050	450	61690	1380
35.	20500	450	63070	1380
36.	20950	450	64450	1380
37	21400	450	65830	1380
38.	21850	500	67210	1540

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
39.	22350	500	68750	1540
40.	22850	500	70290	1540
41.	23350	500	71830	1540
42.	23850	500	73370	1540
43.	24350	500	74910	1540
44.	24850		76450	

रायपुर, दिनांक 14 जून 2010

क्रमांक 5919/1512/21-ब/छ. ग./2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ निम्नतर एवं उच्चतर न्यायिक सेवा (वेतन पुनरीक्षण) नियम, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

CHHATTISGARH LOWER AND HIGHER JUDICIAL SERVICE (REVISION OF PAY) RULES, 2010

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, and in compliance with the recommendations made by One Man Commission headed by Justice E. Padmanabhan (Retired) constituted by the Interim Order dated 28-4-2009 in I.A. No. 244 passed by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (C) No. 1022 of 1989 in case of All India Judges Association and others Vs Union of India and others [2002 AIR SCW 1706=(2002)[4] SCC 247] the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules in respect of revision of pay of the Members of Chhattisgarh Lower and Higher Judicial Service, namely :—

1. **Short Title, Commencement and Application.—**
   (1) These rules shall be called the Chhattisgarh Lower and Higher Judicial Service (Revision of Pay) Rules, 2010.

   (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2006

   (3) They shall apply to all the Members of the Chhattisgarh Lower and Higher Judicial Service.

2. **Definition.—** In these rules, unless the context otherwise requires :—
   (a) "Schedule" means schedule appended to these rules;

   (b) "Basic Pay" means pay as defined in Rule 9 (21) (a) (i) of the Fundamental Rules;

   (c) "Existing Scale of Pay" means,
      (i) the pay scale mentioned in column (3) of Schedule-I in respect of the post mentioned in column (2) of the said schedule.

      (ii) the pay scale mentioned in column (3) of Schedule-II in respect of the post mentioned in column (2) of the said schedule.

(d) "Pre-Fixation Emoluments" shall include the basic pay in the existing scale as on 1-1-2006.

Explanation: Where increment in the existing scale of pay is payable on 1st January, 2006, it shall be treated as part of basic pay.

(e) "Revised sacle of Pay" means

(i) in relation to the corresponding scale of pay specified in column (4) against the existing scale of pay mentioned in column (3) of schedule-I mentioned therein;

(ii) in relation to the corresponding scale of pay specified in column (4) against the existing scale of pay mentioned in column (3) of schedule-II.

3. **Revised Scale of pay.**— From the date of commencement of these rules, the scale of pay of every post carrying existing scale of pay shall be as specified in the corresponding entry shown in column (4) of schedule-I or schedule-II, as the case may be.

4. **Drawal of pay in the Revised Scale of pay.**— Save as otherwise provided in these rules, a Member of Lower/Higher Judicial Service shall draw pay in the revised scale of pay applicable to the post to which he is appointed:

Provided that a Member of Lower/Higher Judicial Service may elect to continue to draw pay in the existing scale of pay until the date on which he earns his next or subsequent increment in the existing scale of pay or until he vacates his post or ceases to draw pay in the scale.

Explanation- (1) The option to retain the existing scale of pay under the proviso to this rule shall be admissible only in respect of one existing scale of pay.

Explanation- (2) The aforesaid option shall not be admissible to any person appointed to a post on or after 1st day of January, 2006 whether for the first time in Government service or by transfer or promotion from another post and he shall be allowed pay only as admissible in the revised scale of pay.

5. **Exercise of Option.**—

(1) The option under the proviso to Rule 4, shall be exercised by a Member of Lower/Higher Judicial Service in writing in the "Form" appended to these rules within three months from the date of publication of these rules or where an existing scale has been revised by any order made subsequent to that date, within three months, from the date of such order :—

Provided that—

(a) in case of a Member of Lower/Higher Judicial Service who, on the date of publication of these rules or, on the date of such order, as the case may be, is on leave or on deputation outside the State or on foreign service out of India, may exercise the said option within the time limit prescribed under this rule or within three months from the date of his taking over charge under the State Government.

(b) where a Member of Lower/Higher Judicial Service is under supension on the 1st day of 2006, the option may be exercise within three months of the date of his return to duty, if that date is later than the dates prescribed in this sub-rule.

(c) where a Member of Lower/Higher Judicial Service, who was on duty as on 1-1-2006 and was suspended subsequently and is still under suspension on the date of publication of these rules, the option may be exercised in the manner as provided in clause (b).

(d) those Member of Lower/Higher Judicial Service retiring after 1-1-2006 and before publication of these rules shall also exercise option under this rule.

(2) The option shall be communicated by the Member of Lower/Higher Judicial Service—

(a) if he is a Member of Lower Judicial Service to the Head of his Office;

(b) if he is a Member of Higher Judicial Service to the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.

(3) If the option is not received from a Member of Lower/Higher Judicial Service within the time limit fixed under sub-rule (1), he shall be deemed to have opted for the revised scale of pay, with effect from 1-1-2006.

(4) On receipt of option, the same shall be certified by the Head of Office or High Court of Chhattisgarh, Bilaspur as the case may be. The option shall be pasted in the Service Book of concerned Judicial Officer.

(5) The option once exercised shall be final. If any correction or overwriting is found on the option, it will not be accepted.

Note (1) Persons whose service were terminated on or after 1-1-2006 and who could not exercise the option within the prescribed time limit, on account of death, discharge on the expiry of sanctioned posts, resignation, dismissal or discharge on disciplinary grounds, are entitled to the benefit of this rule.

Note (2) A Member of Lower/Higher Judicial Service, who has died on or after 1-1-2006 but before the date of publication of these rules or who dies after the publication of these rules but before the period prescribed for exercise of options without exercising the option shall be deemed to have opted for that scale of pay, that may be found beneficial to him by the authority concerned and his pay shall be fixed accordingly.

6. **Fixation of Initial Pay in the Revised Scale of Pay.—**

(1) The initial pay of a Member of Lower/Higher Judicial Service, who opts or is deemed to have opted the revised scale of pay under Rule 5, shall be fixed separately in respect of his substantive pay in the permanent post on which he holds lien or would have held a lien if had not been suspended, and in respect of his pay in the officiating post held by him shall be determined on revised pay stage as shown before existing pay stage with reference to master pay stage of Schedule III attached to these Rules.

(2) While fixing pay in the revised scale the following rule shall also be followed :—

(a) In case, an officer drawing pay in the pre-revised scale (existing scale), equal to or less than that of his senior/seniors in the same cadre and similarly appointed, drawn his next increment in the revised scale on the date earlier than such senior/seniors whereby his pay is raised to a stage higher than that of such senior/seniors, the date of next increment of the senior/seniors shall be advanced to the date on which the junior officer draws his next increment.

(b) In case an Officer promoted to a higher post before 1-1-2006 draws less pay in the revised scale than his junior shall be advanced to an amount equal to the pay fixed for his junior in the higher post, from the date of promotion of the junior.

7. **Date of Next Increment in the Revised Scale of Pay.—**

(a) The next increment of a Member of Lower/Higher Judicial Service whose pay has been fixed in the revised scale of pay in accordance with the provision of Rule 6 shall be granted on the date on which he would have drawn his increment had he continued in the existing scale of pay.

(b) If an Officer draws his next increment in the revised scale under clause (a) above and thereby becomes eligible for higher pay than his senior whose increment falls due on a later date then the pay of such senior shall be re-fixed equal to the pay of the junior from the date on which the junior becomes entitled to higher pay.

(c) In case where the pay of an officer is stepped up in terms of clause (b) above the next increment shall be granted to him after completion of one year from the date of such stepping up.

8. **Fixation of Pay in the Revised Scale of Pay subsequent to 1st day of January, 2006.—**

(1) (i) where a Member of Lower Judicial Service continues to draw his pay in the existing scale of pay and is brought over to the revised scale of pay from a date later than the 1st January,

2006 his pay from the later date in the revised sacle of pay shall be fixed under Fundamental Rules, with reference to his basic pay in the existing scale of pay.

(ii) where a Member of Higher Judicial Service continues to draw his pay in the existing scale of his pay and is brought over to the revised scale of pay from a date later than 1-1-2006 his pay from the later date in the revised scale of pay shall be fixed under Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954 with reference to his basic pay in the existing scale of pay.

(2) A member of Higher Judicial Service, who has officiated in a post prior to 1st January, 2006 but was not holding that post on 1st January, 2006 and who, on subsequent appointment to that post, draws pay in the revised scale of pay, shall be allowed the benefit of the proviso to F. R 22 to the extent it would have been admissible to him had he been admissible to him had he been holding that post on the 1st January, 2006 and had elected the revised scale of pay on that date.

9. **Payment of Arrears of Pay.**— The revised pay as a result of xation of pay under these rules shall be payable in cash from 1st June, 2010 (i.e. pay for the month of ne, 2010 payable in July, 2010). 40% of amount of arrears of revised pay (from 1st January, 2006 to 31st May, 2010) shall be deposited forthwith in the General Provident Fund/Contibutory Pension Scheme Account of respective Judicial Officers. Half of remaining 60% of the arrears of revised pay means 30% amount shall be paid in financial year 2010-11 and remaining 30% amount shall be paid in financial year 2011-2012.

Explanation: For the purpose of this rule :—

(a) "arrears of pay" means the difference between :—

(i) the aggregate of the Pay, Allowances and other emoluments which he is entitled on account of revision of pay under these rules, for the relevant period; and

(ii) the aggregate of Pay, Allowance and other emoluments which he have been paid as per entitlement (whether such pay, and other allowances have been received or not) for that period had his Pay, D.A and Other allowances not be so revised.

10. **Overriding Effect of Rules.**— In cases where the pay is regulated by these rules, the provisions of Fundamental Rules and I.A.S (Pay) Rules, 1954 shall not apply to the extent they are inconsistent with these Rules.

11 **Assured Career Progress Scales.**—ACP Scale described in revised scale should not be automatic but on the appraisal of their work and performance by the recommendation of a committee of senior judges of the High Court constituted by Hon'ble Chief Justice of the High Court.

12. **Power to Relax.**— The State Government in consultation with the High Court may relax or suspend the operation of the provisions of these rules in the case of Judicial Officers or category of Judicial Officers in such a manner and to such extent as may appear to it, to be just and equitable or necessary or expedient in the public interest :

Provided that such relaxation or suspension shall not operate to the disadvantage of the Judicial Officer or categories of Judicial Officers, as the case may be.

13. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to State Government in Finance Department, whose decision thereon shall be final.

By order and in the name of the Governor of Chhattisarh,
P N. TRIPATHI, Deputy Secretary.

FORM OF OPTION
(See Rule 5)

I .... hereby elect to draw my pay in the Revised pay structure with effect from 1st January, 2006.

Or

I .... hereby elect to continue on the existing scale of pay of Rs. .... of my substantive/officiating Post of .... until

*(a) The date of my next increment

or * (b) The date of subsequent increment raising my pay to Rs. ....

or * (c) I vacate the post or cease to draw pay in the existing scale of Rs. ....

Station ....

Date ....

Signature ....
Name ....
Designation ....
Office in which employed ....
....

....
*(strike off if inapplicable)

FOR OFFICE USE ONLY

Certified that the option submitted by Shri/Smt./Ku./ .... (name) is received in the office on ....

Signature ....
Designation ....

SCHEDULE-I

S. No. (1)	Name of Post (2)	Existing Pay Scale (3)	Revised Pay Scale (4)	Remarks (5)
1.	Civil Judge (Junior Division) Civil Judge Class II (Entry Level)	9000-250-10750-300-13150-350-14550	27700-770-33090-920-40450-1080-44770	--
2.	Civil Judge (Junior Division) First Stage of A.C.P. Scale	10750-300-13150-350-14900	33090-920-40450-1080-45850	After completion of five years service in the pay scale of Civil Judge (Entry Level)
3.	Civil Judge (Junior Division) Second Stage of A.C.P. Scale if not promoted as Senior Civil Judge	12850-300-13150-350-15950-400-17550	39530-920-40450-1080-49090-1230-54010	After completion of five years service in the pay scale of Civil Judge (Superior Scale)
4.	Senior Civil Judge (Civil Judge Class I)	12850-300-13150-350-15950-400-17550	39530-920-40450-1080-49090-1230-54010	--
5.	Senior Civil Judge (First Stage of A.C.P. Scale)	14200-350-15950-400-18350	43690-1080-49090-1230-56470	After completion of five years service as Senior Civil Judge (Promotion Grade)
6.	Senior Civil Judge (Selection Grade) C.J.M./A.C.J.M.	14200-350-15950-400-18350	43690-1080-49090-1230-56470	
7.	Senior Civil Judge (Selection Scale) Second stage of A.C.P. scale if not promoted to the Cadre of District Judge in H.J.S.	16750-400-19150-450-20500	51550-1230-58930-1380-63070	On completion of five years service on the post Senior Civil Judge (Superior Scale) C.J.M./A.C.J.M-First Stage of A.C.P. Scale.

SCHEDULE-II

S. No.	Name of Post	Existing Pay Scale	Revised Pay Scale	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	District Judge (Entry Level)	16750-400-19150-450-20500	51550-1230-58930-1380-63070	--
2.	District Judge (Selection Grade)	18750-400-19150-450-21850-500-22850	57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290	Appointment shall be made on the basis of merit-cum-seniority provided that no Member of the Service shall be appointed to the category unless he has put in minimum service of five years on the post of District Judge (Entry Level)
3.	District Judge (Super Time Scale)	22850-500-24850	70290-1540-76450	Appointment shall be made on the basis of merit-cum-seniority provided that no Member of the Service shall be appointed to the category unless he has put in minimum service of three years as District Judge (Selection Grade)

SCHEDULE-III
(Pay-Stages)

S. No.	Existing		Revised	
	Pay	Increment	Pay	Annual Increment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	9000	250	27700	770
2.	9250	250	28470	770
3.	9500	250	29240	770
4.	9750	250	30010	770
5.	10000	250	30780	770
6.	10250	250	31550	770
7.	10500	250	32320	770
8.	10750	300	33090	920
9.	11050	300	34010	920
10.	11350	300	34930	920
11.	11650	300	35850	920
12.	11950	300	36770	920
13.	12250	300	37690	920
14.	12550	300	38610	920
15.	12850	300	39530	920
16.	13150	350	40450	1080
17.	13500	350	41530	1080
18.	13850	350	42610	1080
19.	14200	350	43690	1080
20.	14550	350	44770	1080
21.	14900	350	45850	1080
22.	15250	350	46930	1080
23.	15600	350	48010	1080
24.	15950	400	49090	1230
25.	16350	400	50320	1230
26.	16750	400	51550	1230
27.	17150	400	52780	1230
28.	17550	400	54010	1230
29.	17950	400	55240	1230
30.	18350	400	56470	1230
31.	18750	400	57700	1230
32.	19150	450	58930	1380
33.	19600	450	60310	1380
34.	20050	450	61690	1380
35.	20500	450	63070	1380
36.	20950	450	64450	1380
37.	21400	450	65830	1380
38.	21850	500	67210	1540
39.	22350	500	68750	1540
40.	22850	500	70290	1540
41.	23350	500	71830	1540
42.	23850	500	73370	1540
43.	24350	500	74910	1540
44.	24850		76450	

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.